संख्या-91 /2023/ — /001-2037-26-3-2023-CN-1486025

प्रेषक,

राज कुमार झा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 19 अक्टूबर, 2023

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद-लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लाक में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु 50 छात्रों की छात्र क्षमता के छात्रावास निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-131/ज0जा0वि0/1/2023-24, दिनांक-30.06.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद-लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लाक में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 50 छात्रों की छात्र क्षमता के छात्रावास निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-137.00 लाख (रू0 एक करोड़ सैतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-26/2022/99/26-3-2022-1(30)/2021, दिनांक-29.03.2022 द्वारा उक्त कार्य हेतु आगणित धनराशि रू0-328.13 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0-20.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करते हुये कार्यदायी संस्था उ0प्र0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) नामित किया गया।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद-लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लाक में अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु 50 छात्रों की छात्र क्षमता के छात्रावास निर्माण हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि रू0-137.00 लाख (रू0 एक करोड़ सैतीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1)- निदेशक, जनजाति विकास द्वारा शीघ्र धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था (यू0पी0पी0सी0एल0) को दी जायेगी, जिसका अधिष्ठान व्यय वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के

निर्माण में बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है, तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनाँक 19-09-2023, कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनाँक 17-03-2023 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक-04.11.2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रायोजना के कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र जी0एस0टी0 इन्वायस सक्षम स्तर से निदेशक, जनजाति विकास विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17-03-2023 एवं 19-09-2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक एवं गुणवत्ताग आदि की पूर्ण जिम्मे दारी निदेशक, जनजाति विकास एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्टन ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्ब्न्ध में वित्तम (आय-व्यक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्यास-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्ट चार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्ति कर शासन को शीघ्र उपलब्धश कराया जाय। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट

मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्थार/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशालय, जनजाति विकास विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का व्याय वित्तीय हस्तरपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप निर्गत किया जाएगा। प्रश्निगत निर्माण कार्य हेतु विभागीय अप्रेजल कमेटी द्वारा संस्तुत मूल्यां कित धनराशि एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(11) प्रायोजना की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था/निदेशक जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रेषित मांग एवं अभिलेखों के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। अतः यदि परियोजना के मानक एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई सूचना भविष्य में गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त् कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे एवं अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि की मांग प्रस्तुत करते समय परियोजना की टेण्डर लागत, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, संविदा से सम्बन्धित मूल (MOU), तकनीकी स्वीकृति आदि अभिलेख कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

(13) प्रायोजना में स्वीकृत कार्यों/लागत से विचलन की दशा में वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त 2014 में अंकित प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,37,00,000 (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 081 **लेखा शीर्षक** 4225027960500 अनुसूचित जनजातियों के लिए बालक एवं बालिकाओं के लिये छात्रावास का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227 /दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by राज कुमार झा
Date: 18-10-2023 16:21:30
Reason: Approved

राज कुमार झा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-९१ /2023/ —— /001-2037-26-3-2023-CN-1486025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी,लखीमपुरखीरी।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।
8 निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज कुमार झा
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।